गोपनीय

2017 का विधेयक सं. 11

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 और राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2017 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 4, 9 और 12 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी,

जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये; और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामलें में पचहत्तर लाख रुपये,

से अधिक न हो।"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में,-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह् "।" के स्थान पर विराम चिन्ह् ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य सरकार व्यवहारियों के भिन्न-भिन्न वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगी।"।

अध्याय 3

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

5. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 32क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की विद्यमान धारा 32 के पश्चात् और विद्यमान धारा 33 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"32क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें,

होटलवालों के किसी वर्ग द्वारा, किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज, शास्ति या विलम्ब फीस की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

अध्याय 4
राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9घ का अन्त:स्थापन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की विद्यमान धारा 9ग के पश्चात् और विद्यमान धारा 10 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"9घ. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, स्वत्वधारियों के किसी वर्ग द्वारा, किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

अध्याय 5
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-क का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं यथा रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल-निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन-उपयोगिताओं के विकास के, और नगरपालिकाओं और पंचायती

http://finance.rajasthan.gov.in

राज संस्थाओं के वित्तपोषण के, प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाये।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।"।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3-ख में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित की जाये।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3क) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।"।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) पार्श्व शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बंधक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या व्यवस्थापन" के पूर्व अभिव्यक्ति ", हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि)" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "बंधक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या व्यवस्थापन" के पूर्व अभिव्यक्ति ", हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि)" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "और अन्य प्रत्येक लिखत शुल्क से छूट प्राप्त होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और अन्य प्रत्येक लिखत, अनुसूची में इसके लिए विहित शुल्क, यदि कोई हो, के बजाय दो सौ रुपये के शुल्क से प्रभार्य होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 32 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(खख) किसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार की दशा में- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(गग) बैंक गारंटी की दशा में, आयुधों और गोला-बारूदों से संबंधित अनुज्ञप्ति, सीमित दायित्व भागीदारी (सी.दा.भा.)- उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में लिखत निष्पादित की जाती है;"।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में, विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्-

"(3) जहां स्टाम्प शुल्क, ऐसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय उस लिखत पर, उस शुल्क से, जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक प्रभारित या संदत्त किया गया है, वहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर किये गये लिखित आवेदन पर, उस आधिक्य को वापस कर सकेगा।"।

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 में, विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च)	यदि किसी उत्पाद या कार्यक्रम या इवेण्ट के प्रोत्साहन के लिए उनसे लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से किये गये किसी विज्ञापन से संबंधित है;	न्यूनतम पांच सौ रुपये और अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी संविदा में करार की गयी रकम का 0.25 प्रतिशत।";

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"33. **पट्टा**- जिसके अन्तर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार या उसका कोई भी नवीकरण है,-

जहां ऐसा पट्टा-

(i)	एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.02 प्रतिशत।
(ii)	एक वर्ष से अन्यून किन्तु पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत।
(iii)	पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत।
(iv)	दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत।

(v)	पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत।
(vi)	बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का चार प्रतिशत।
(vii)	तीस वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है, या किसी निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है।	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है:

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूट:- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।";

(iii) अनुच्छेद 35-क में,-

(क) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) में स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पूर्वमृत पुत्र की पुत्री" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या पिता या माता" के पूर्व अभिव्यक्ति "या पिता की बहिन या पूर्वमृत भाई का पुत्र" अन्त:स्थापित की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2), व्यवहारियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए, अपने पण्यावर्त पर कर के संदाय के विकल्प का उपबंध करती है। वर्तमान में, विनिर्माता उक्त उप-धारा के अधीन कर के संदाय का विकल्प देने हेतु पात्र नहीं हैं। राज्य के लघु विनिर्माताओं को राहत प्रदान करने के लिए धारा 3 की उप-धारा (2) में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3), राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारियों द्वारा संदेय कर की अधिकतम दर का उपबंध करती है। वर्तमान में, विनिर्माताओं और आयातकर्ताओं से भिन्न व्यवहारी धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि, विनिर्माताओं को, धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प देने के लिए, सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, विनिर्माताओं के लिए कर की भिन्न-भिन्न दर अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता है, और इसलिए, व्यवहारियों के भिन्न-भिन्न वर्ग के लिए, कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। तदनुसार, धारा 4 की उप-धारा (3) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

वर्तमान में, कोई होटलवाला, ब्याज और/या शास्ति की रकम के अधित्यजन के लिए अधिनियम की धारा 32 के अधीन आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता है यदि ऐसे होटलवाले को वित्तीय और वास्तविक कठिनाई कारित हो। ऐसी समरूप परिस्थितियां हो सकती हैं कि होटलवालों के वर्ग के लिए भी शास्ति, विलंब फीस और ब्याज का सामान्य अधित्यजन या कमी की जाये। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, होटलवालों के ऐसे वर्ग के लिए शास्ति, विलंब फीस और ब्याज की परादेय मांग को कम या अधित्यक्त करने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम में एक नयी धारा 32क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957

वर्तमान में, कोई स्वत्वधारी, ब्याज और/या शास्ति की रकम के अधित्यजन के लिए अधिनियम की धारा 9ग के अधीन आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता है यदि ऐसे स्वत्वधारी को वित्तीय और वास्तविक कठिनाई कारित हो। ऐसी समरूप परिस्थितियां हो सकती हैं कि स्वत्वधारियों के वर्ग के लिए भी शास्ति और ब्याज का सामान्य अधित्यजन या कमी की जाये। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, स्वत्वधारियों के ऐसे वर्ग के लिए शास्ति और ब्याज की परादेय मांग को कम या अधित्यक्त करने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम में एक नयी धारा 9घ अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

वर्तमान में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3-क और धारा 3-ख के अधीन आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं इत्यादि के विकास और गाय और उसकी नस्ल के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए, स्थावर सम्पत्ति से संबंधित कतिपय लिखतों पर ही संदेय स्टाम्प शुल्क पर अधिभार उद्गृहीत किये जा रहे हैं। पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करने की दृष्टि से ऊपर उल्लिखित अधिभार राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में सम्मिलित समस्त लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क पर उद्गृहीत किये जाने प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार को, अधिभार के संग्रहण के लिए नियम बनाने और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, सशक्त करने हेतु भी उपबंध प्रस्तावित हैं। तदनुसार, धारा 3-क और 3-ख को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार यदि पक्षकार विक्रय, बंधक या व्यवस्थापन के एकल संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक लिखत निष्पादित करते हैं तो संव्यवहार की केवल मूल लिखत स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और संव्यवहार की अन्य शेष लिखतें स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य नहीं हैं। उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 6 के अधीन यथा-उपबंधित हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) भी एक प्रकार का बंधक है

जो सामान्यतया गृह या अन्य ऋणों के प्रयोजनों के लिए निष्पादित किया जाता है। हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) की लिखत को धारा 5 में उल्लिखित लिखतों के प्रवर्ग में सम्मिलित करने के लिए और धारा 5 में उल्लिखित संव्यवहार की अन्य लिखतों पर प्रत्येक पर दो सौ रुपये का स्टाम्प शुल्क विहित करने के लिए भी धारा 5 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उचित स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था करने के खर्चे वहन करने के लिए पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 32 उस पक्षकार को विनिर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा, लिखत पर स्टाम्प शुल्क संदेय है। उस पक्षकार को, जिसके द्वारा, इजाजत और अनुज्ञप्ति करार, बैंक गारंटी, आयुधों या गोला-बारूदों से संबंधित अनुज्ञप्ति, सीमित दायित्व भागीदारी (सी.दा.भा.) की लिखतों के मामले में स्टाम्प शुल्क संदेय है, विनिर्दिष्ट करने के लिए, धारा 32 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि जब कभी अपेक्षित हो, स्टाम्प शुल्क का संग्रह करना और उसका समाधान करना सरल हो जाये।

कभी-कभी स्टाम्प शुल्क आवश्यकता से अधिक संदत्त किया जाता है और आधिक्य में प्रभारित या संदत्त स्टाम्प शुल्क को वापस करने का मामला बनता है। जनता को राहत प्रदान करने के लिए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 49 को, लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय लिखत पर विधिक रूप से प्रभार्य से अधिक प्रभारित या संदत्त स्टाम्प शुल्क को वापस करने हेतु उपबंध करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से, किसी उत्पाद या कार्यक्रम या इवेण्ट के प्रोत्साहन के लिए किये गये किसी विज्ञापन से संबंधित करारों पर स्टाम्प शुल्क की दर को युक्तिसंगत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 का खण्ड (च) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की दरों के साथ ही संगणना का तरीका युक्तिसंगत करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

रिवाल्वरों या पिस्तौलों की अनुज्ञप्ति की लिखतों और अनुज्ञप्ति के नवीकरण से संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क बढ़ाकर क्रमश: तीन हजार रुपये से पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये से दो हजार रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 48 में उल्लिखित कौटुम्बिक सदस्यों के पक्ष में निष्पादित पैतृक सम्पत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर स्टाम्प शुल्क की रियायती दर लागू है। उपरोक्त के अतिरिक्त, पिता की बहिन और पूर्वमृत भाई के पुत्र को भी सम्मिलित करते हुए बड़ी संख्या में पैतृक सम्पत्ति संव्यवहार होते हैं। इसलिए, कौटुम्बिक सदस्यों की सूची में पिता की बहिन और पूर्वमृत भाई के पुत्र को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 48 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। ताकि, पिता की बहिन या पूर्वमृत भाई के पुत्र के पक्ष में निष्पादित पैतृक सम्पत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर भी स्टाम्प शुल्क में राहत का उपबंध किया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(14)वित्त/कर/2017 दिनांक 08.03.2017
प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 7 और 8, जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3-क और 3-ख में क्रमश: नयी उप-धारा (4) और (3क) को अन्त:स्थापित करने के लिए ईप्सित हैं, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो राज्य सरकार को, उन धाराओं के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से ऐसा अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बनाने हेतु सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से सबंधित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3. कर का भार.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में प्रगणित व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसा वार्षिक पण्यावर्त किसी वर्ष में पचहत्तर लाख रुपये से अधिक न हो।

(3) से (6) XX XX XX

4. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.- (1) से (2) XX XX

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारी द्वारा संदेय कर, पण्यावर्त पर दो प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये।

(4) से (7) XX XX XX

XX XX XX XX

2. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3-क. अधिभार से प्रभार्य कतिपय लिखतें.- (1) स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर संपत्ति पर संनिर्माण या विकास या विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो), के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगे, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों

पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं जैसे रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल-निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन-उपयोगिताओं, और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के लिए, अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार, धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिभार.- (1) स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास, या उसके विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो), के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होगा, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का निश्चयन और उपयोग राज्य में गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

XX XX XX XX

5. विक्रय, बंधक या व्यवस्थापन के एकल संव्यवहार में प्रयुक्त कई लिखतें.- (1) जहां किसी भी विक्रय, बंधक या व्यवस्थापन के मामले में संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयोग में लायी जाती हैं, वहां केवल मूल लिखत ही अनुसूची में उसके लिए विहित शुल्क से प्रभार्य होगी और अन्य प्रत्येक लिखत शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

32. शुल्क किसके द्वारा देय है.- किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने के खर्च निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा वहन किये जायेंगे:-

(क) XX XX XX

(ख) किसी हस्तांतरण-पत्र की (जिसके अन्तर्गत बंधक संपत्ति का पुन: हस्तांतरण है) दशा में- प्राप्तिकर्ता द्वारा; किसी पट्टे या पट्टे के करार की दशा में- पट्टेदार या आशयित पट्टेदार द्वारा;

(ग) किसी पट्टे के प्रतिलेख की दशा में- पट्टाकर्ता द्वारा;

(घ) विनिमय की लिखत की दशा में-पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्सों में;

(ङ) से (छ) XX XX XX

XX XX XX XX

49. कतिपय मामलों में शास्ति या अतिरिक्त शुल्क वापस करने की शक्ति.- (1) जहां धारा 39 या धारा 44 के अधीन कोई शास्ति संदत्त की गयी है, वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उसके संदत्त की तारीख के एक वर्ष के भीतर-भीतर लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर, ऐसी शास्ति को पूर्णत: या भागत: वापस कर सकेगा।

(2) जहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की राय में उस शुल्क से, जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है और धारा 39 या धारा 44 के अधीन संदत्त कर दिया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी ऐसा शुल्क प्रभारित करने के आदेश के तीन मास के भीतर-भीतर लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर उस आधिक्य को वापस कर सकेगा।

XX XX XX XX

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन			उचित स्टाम्प शुल्क
1			2
1. से 4.	XX	XX	XX
5.	**करार या करार का ज्ञापन.-**		
(क) से (ङ)	XX	XX	XX
(च)	यदि किसी उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किये गए किसी विज्ञापन; या उसमें से लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित है,-		
(i)	यदि करार की गयी रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;		न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii)	अन्य किसी मामले में,		संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
(चच) से (छ)	XX	XX	XX
6. से 32.	XX	XX	XX
33.	**पट्टा**- जिसके अन्तर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार है,-		
(क)	जहां ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है,-		
(i)	जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के		वही शुल्क जो ऐसे

http://finance.rajasthan.gov.in

लिए तात्पर्यित है,	बन्धपत्र (सं. 14) पर ऐसे पट्टे के अधीन संदेय पूरी रकम के लगता है।
(ii) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु बीस वर्ष से अधिक नहीं है,	वही शुल्क जो हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर दो वर्ष के औसत भाटक की रकम या मूल्य के बराबर प्रतिफल पर लगता है।
(iii) जहां पट्टा बीस वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है या जहां उसमें अवधि उल्लिखित नहीं है।	वही शुल्क जो हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर उस संपत्ति के बाजार-मूल्य पर लगता है जो पट्टे की विषय वस्तु है।

स्पष्टीकरण:- (क) पट्टे की अवधि में न केवल दस्तावेज में वर्णित कालावधि सम्मिलित होगी अपितु इससे ठीक पूर्ववर्ती सभी पूर्व कालावधियों सहित जिसमें पट्टेदार और पट्टाकर्ता बिना किसी व्यवधान के वही रहे हों, ऐसी वर्णित कालावधि का योग भी समझा जायेगा।

(ख) जहां पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है:-

(i) जहां पट्टा बीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए होना तात्पर्यित है।	वही शुल्क जो ऐसे नजराने, प्रीमियम, अग्रिम धन की रकम या

http://finance.rajasthan.gov.in

	मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ii) जहां पट्टा बीस वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है या जहां अवधि उल्लिखित नहीं है।	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है जो पट्टे की विषय-वस्तु है।
(ग) जहां पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों के लिए मंजूर किया गया है;	
(i) जहां पट्टा बीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	वही शुल्क जो ऐसे नजराने, प्रीमियम, अग्रिम धन की रकम या मूल्य के और पट्टे में यथा-उपवर्णित दो वर्ष के औसत भाटक की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ii) जहां पट्टा बीस वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है या जहां अवधि उल्लिखित नहीं है:	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है जो पट्टे की विषय-वस्तु है।

http://finance.rajasthan.gov.in

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क दस रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूटें :

(क) खेतिहर को दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।

34. से 35. XX XX XX

35-क. आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित **अनुज्ञप्ति** अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के उपबंधों के अधीन आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज,-

(क) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति:-

(i) रिवाल्वर या पिस्तौल तीन हजार रुपये।

(ii) से (v) XX XX XX

(ख) XX XX XX

(ग) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-

(i) रिवाल्वर या पिस्तौल एक हजार रुपये।

(ii) से (v) XX XX XX

35-ख. से 47. XX XX XX

48. **निर्मुक्ति** अर्थात् कोई लिखत जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 26(2) द्वारा उपबंध किया गया है जिसके द्वारा कोई सह-स्वामी,

http://finance.rajasthan.gov.in

	सह-अंशधारी या सहदायिक अपना हित, एंश, भाग या दावा अन्य सहस्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक के पक्ष में त्याग देता है,-	
	(क) यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन (त्यागने वाले के माता-पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या त्यागने वाले की पत्नी या पति के द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित किया जाये।	त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5 प्रतिशत।
	(ख) XX	XX XX
49. से 58.	XX	XX XX
XX	**XX**	**XX XX**

http://finance.rajasthan.gov.in

Confidential

Bill No. 11 of 2017

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 and the Rajasthan Stamp Act, 1998, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2017-18 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2017.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 4, 9 and 12 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

> "(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than those specified in clause (a) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells, such goods or goods manufactured from such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub-section

(3) of section 4, subject to the condition that annual turnover of such dealer does not exceed-

(i) rupees fifty lacs, in case of a dealer specified in clause (b) of sub-section (1); and

(ii) rupees seventy five lacs, in case of other dealers.".

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (3) of section 4 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (3), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government may notify different rates for different class of dealers.".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

5. Insertion of section 32A, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- After the existing section 32 and before the existing section 33 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), the following new section shall be inserted, namely:-

"**32A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest, penalty or late fee payable for any period by any class of hoteliers, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.".

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

6. Insertion of section 9D, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- After the existing section 9C and before the existing section 10 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the following new section shall be inserted, namely:-

"**9D. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable

for any period by any class of proprietors, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.”.

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

7. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of the development of basic infrastructure facilities such as rail or road transportation system, communication system, power distribution system, sewerage system, drainage system or any other such public utilities serving any area of the State and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions."; and

(ii) after the existing sub-section (3), the following shall be added, namely:-

"(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.".

8. Amendment of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3-B of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny."; and

(ii) after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following shall be inserted, namely:-

"(3A) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.".

9. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in marginal heading, after the existing expression "mortgage" and before the existing expression "or settlement", the expression "agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds" shall be inserted;

(ii) in sub-section (1),-

(a) after the existing expression "mortgage" and before the existing expression "or settlement", the expression "agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds" shall be inserted; and

(b) for the existing expression "and each of the other instruments shall be exempt from duty", the expression "and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of two hundred rupees instead of the duty, if any, prescribed for it in that Schedule" shall be substituted.

10. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 32 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (b) and before the existing clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"(bb) in the case of a leave and licence agreement-by licensee;"; and

(ii) after the existing clause (c) and before the existing clause (d), the following shall be inserted, namely:-

"(cc) in the case of Bank Guarantee, Licence relating to arms and ammunitions, Limited Liability Partnership (LLP)- by the person in favour of whom instrument is executed;".

11. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 49 of the principal Act, after the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Where stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged or paid on the instrument at the time of the registration of such instrument the State Government or any officer authorized by the State Government by notification may, upon application in writing made within six months from the date of registration, refund the excess.".

http://finance.rajasthan.gov.in

12. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 5, for the existing clause (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) if relating to any advertisement made for promotion of any product or program or event with an intention to make profits or business out of it;	0.25% of the amount agreed in the contract, subject to a minimum of rupees five hundred and maximum of rupees twenty five thousand.";

(ii) for the existing Article 33, the following shall be substituted, namely:-

"**33. Lease**- Including an under lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal thereof,—	
Where such lease purports to be—	
(i) for a period less than one year.	0.02 percent of the market value of the property.
(ii) for a period not less than one year but not exceeding five years.	0.1 percent of the market value of the property.
(iii) for a period exceeding five years but not exceeding ten years.	0.5 percent of the market value of the property.
(iv) for a period exceeding ten years but not exceeding fifteen years.	One percent of the market value of the property.
(v) for a period exceeding fifteen years but not exceeding twenty years.	Two percent of the market value of the property.
(vi) for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years.	Four percent of the market value of the property.
(vii) for a period exceeding thirty years or in perpetuity, or does not purport for any definite period.	The same duty as on a conveyance (No.21) on the market value of the property:

Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed hundred rupees.

http://finance.rajasthan.gov.in

Exemption:- Lease, executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink).";

(iii) in Article 35-A,-

(a) in sub-clause (i) of clause (a), for the existing expression "Three thousand rupees", appearing under column No. 2, the expression "Five thousand rupees" shall be substituted;

(b) in sub-clause (i) of clause (c), for the existing expression "One thousand rupees", appearing under column No. 2, the expression "Two thousand rupees" shall be substituted; and

(iv) in clause (a) of Article 48, after the existing expression "daughter of a predeceased son" and before the existing expression "or father or mother", the expression "or father's sister or son of predeceased brother" shall be inserted.

http://finance.rajasthan.gov.in

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub-section (2) of section 3 of the Act provides an option to the dealers to opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of goods specified in Schedule I. Presently, the manufacturers are not eligible to opt for payment of tax under the said sub-section. To provide relief to small manufacturers of the State, an amendment in sub-section (2) of section 3 has been proposed.

Sub-section (3) of section 4 of the Act provides maximum rate of tax payable by dealers covered under sub-section (2) of section 3 of Rajasthan Value Added Tax Act, 2003. Presently, the dealers other than manufacturers and importers are covered under sub-section (2) of Section 3. Since, it has been proposed to include manufacturers to opt for payment of tax under sub-section (2) of section 3, different rate of tax need to be notified for manufacturers, and therefore, it is being proposed to empower the State Government to notify different rates of tax for different class of dealers. Accordingly, sub-section (3) of section 4 is proposed to be amended.

THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

Presently hotelier may submit application for waiver of interest and/or penalty amount, in case of financial and genuine hardship being caused to such hotelier, before the Commissioner under Section 32 of the Act. Similar circumstances may warrant that a general waiver or reduction of penalty, late fee and interest may be made for class of hoteliers also. Keeping this objective in view, it is proposed to insert a new section 32A in the Act to empower State Government to reduce or waive the outstanding demand of penalty, late fee and interest for such class of hoteliers.

THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

Presently proprietor may submit application for waiver of interest and/or penalty amount, in case of financial and genuine hardship being caused to such proprietor, before the Commissioner under Section 9C of the Act. Similar circumstances may warrant that a general waiver or reduction of penalty and interest may be made for class of proprietors also. Keeping this objective in

view, it is proposed to insert a new section 9D in the Act to empower State Government to reduce or waive the outstanding demand of penalty and interest for such class of proprietor.

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

At present under section 3-A and section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998, surcharges on stamp duty payable only on certain instruments related to immovable property are being levied for the purposes of development of basic infrastructure facilities etc. and propagation of cow and its progeny. With a view to generate more revenue for the aforesaid purposes, the surcharges mentioned above are proposed to be levied on the stamp duty payable on all the instruments included in the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998. Provisions are also proposed to empower the State Government to make rules for collection of surcharge and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected. Accordingly, section 3-A and 3-B are proposed to be amended suitably.

According to section 5 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, if the parties execute more than one instrument to complete the single transaction of sale, mortgage or settlement, then only principal instrument of the transaction is chargeable with stamp duty and other remaining instruments of the transaction are not chargeable with stamp duty. Agreement or any other document (memorandum etc.) relating to deposit of title deeds as provided under Article 6 of the said Act is also a kind of mortgage which is usually executed for the purposes of housing or other loans. Section 5 is proposed to be suitably amended to include the instrument of Agreement or any other document (memorandum etc.) relating to deposit of title deeds in the category of instruments mentioned in section 5 and also to prescribe stamp duty of rupees 200/- each on other instruments of the transaction mentioned in section 5.

Section 32 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 specifies the party by whom stamp duty is payable in the absence of any agreement between the parties to the instrument to bear the expenses of providing proper stamp duty. Section 32 is proposed to be amended to specify the party by whom stamp duty is payable in case of instruments of Leave and Licence Agreement, Bank Guarantee, Licence relating to arms or ammunitions, Limited Liability Partnership (LLP) so that it is easier to collect the stamp duty and reconcile it as and when required.

Sometimes stamp duty is paid in excess of the requirement and case of refund of the stamp duty charged or paid in excess is made out. To provide relief to the people, section 49 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to make provisions for refund of stamp duty charged or paid in excess of that which is legally chargeable on the instrument at the time of the registration of the instrument.

Clause (f) of the Article 5 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to rationalize the rate of stamp duty on agreements relating to any advertisement made for promotion of any product or program or event with an intention to make profits or business out of it.

With a view to rationalize the rates as well as method of calculation of stamp duty on the lease deed, Article 33 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

Article 35-A of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty on the instruments of licence and renewal of licence relating to revolvers or pistols from rupees three thousand to five thousand and one thousand to two thousand respectively.

At present concessional rate of stamp duty is applicable on release deed of ancestral property executed in favour of family members mentioned in Article 48 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998. Besides above, lot of ancestral property transaction take place including father's sister and son of predeceased brother also. Therefore, Article 48 is proposed to be amended to include father's sister and son of predeceased brother in the list of family members so as to provide relief in stamp duty also on release deed of ancestral property executed in favour of father's sister or son of predeceased brother.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(14)वित्त/कर/2017 दिनांक 08.03.2017
प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 7 and 8 of the Bill, which seek to insert new sub-sections (4) and (3A) in sections 3-A and 3-B respectively of the Rajasthan Stamp Act, 1998 shall, if enacted, empower the State Government to make rules for collection of surcharge leviable under those sections and for regulating the duties and remuneration of the person through whom such surcharge is collected.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

1. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)

XX XX XX XX

3. Incidence of tax.- (1) XX XX XX

(2) Notwithstanding anything contained in sub–section (1) a dealer other than that enumerated in clause (a) or clause (b) of sub–section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub–section (3) of section 4, subject to the condition that such annual turnover does not exceed rupees seventy five lacs in a year.

(3) to (6) XX XX XX

XX XX XX XX

4. Levy of tax and its rate.- (1) to (2) XX XX XX

(3) Notwithstanding anything contained in sub–section (1), the tax payable by the dealer covered by sub–section (2) of section 3, shall be levied at the rate not exceeding two percent on the turnover, as may be notified by the State Government.

(4) to (7) XX XX XX

XX XX XX XX

2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)

XX XX XX XX

3-A. Certain instruments chargeable with surcharge.- (1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under

section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of the development of basic infrastructure facilities such as rail or road transportation system, communication system, power distribution system, sewerage system, drainage system or any other such public utilities serving any area of the State and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may be apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny.- (1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3 and any surcharge chargeable under section 3-A.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may be apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

(4) The surcharge collected under this section shall be earmarked and utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny-in the State.

XX XX XX XX

5. Several instruments used in single transaction of sale, mortgage or settlement.- (1) Where, in case of any of sale, mortgage or settlement, several instruments are employed for completing the transaction, only the principal instrument shall be chargeable with the duty prescribed for it in the Schedule and each of the other instruments shall be exempt from duty.

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

32. Duties by whom payable.- In the absence of an agreement to the contrary the expense of providing the proper stamp shall be borne,-

(a) XX XX XX

(b) in the case of a conveyance (including a re-conveyance of mortgaged property)- by the grantee; in the case of a lease or agreement to lease- by the lessee or intended lessee;

(c) in the case of a counterpart of a lease-by the lessor;

(d) in the case of an instrument of exchange-by the parties in equal shares;

(e) to (g) XX XX XX

XX XX XX XX

49. Power to refund penalty or excess duty in certain cases.- (1) Where any penalty is paid under section 39 or section 44, the Chief Controlling Revenue Authority may, upon application in writing made within one year from the date of the payment, refund such penalty wholly or in part.

(2) Where, in the opinion of the Chief Controlling Revenue Authority, Stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged and paid under section 39 or section 44, such authority may upon application in writing made within three months of the order charging the same, refund the excess.

XX XX XX XX

THE SCHEDULE

(See Section 3)

Description of instrument	Proper Stamp Duty
1	**2**
1. to 4. XX XX	XX

http://finance.rajasthan.gov.in

5. Agreement or memorandum of an agreement-			
(a) to (e)	XX	XX	XX
(f) If relating to any advertisement made for promotion of any product; or program or event with an intention to make profits or business out of it,-			
(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;			Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.
(ii) in any other case			Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(ff) to (g)	XX	XX	XX
6. to 32.	XX	XX	XX
33. Lease- Including an under lease, or sub-lease and any agreement to let or sub-let,-			
(a) where, by such lease, the rent is fixed and no premium is paid or delivered,-			
(i) where the lease purports to be for a term for less than one year;			The same duty as on a Bond (No. 14) for the whole amount payable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than twenty years;			The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of the average rent of two years.
(iii) where the lease purports to be for a term in excess of twenty years or in perpetuity or where the term is not mentioned.			The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.
Explanation: (a) The term of a lease shall include not only the period stated in the document but shall be deemed to be the sum of such stated			

http://finance.rajasthan.gov.in

period along with all previous periods immediately preceding this without a break for which the lessee and lessor remained the same.	
(b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced or security charges advanced and where no rent is reserved:-	
(i) where the lease purports to be for a term of not more than twenty years.	The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of such fine, premium, advance as set forth in the lease.
(ii) where the lease purports to be for a term in excess of twenty years, or in perpetuity or where the term is not mentioned:	The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.
(c) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced or security charges advanced in addition to rent reserved,-	
(i) where the lease purports to be for a term of not more than twenty years.	The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of such fine premium or advance and amount of average rent of two years as set forth in the lease.
(ii) where the lease purports to be for a term in excess of twenty years, or in perpetuity or where term is not mentioned.	The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.

http://finance.rajasthan.gov.in

	Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed ten rupees.		
	Exemption:		
	(a) Lease, executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink).		
34. to 35.	XX	XX	XX
35-A. Licence relating to arms or ammunitions, that is to say, document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959 (Central Act No. 54 of 1959),-			
	(a) Licence relating to following arms:-		
	(i) Revolvers or pistols		Three thousand rupees.
	(ii) to (v)	XX	XX	XX
	(b)	XX	XX	XX
	(c) Renewal of licence relating to following arms:-		
	(i) Revolvers or pistols		One thousand rupees.
	(ii) to (v)	XX	XX	XX
35-B to 47.	XX	XX	XX
48. Release, that is to say any instrument, (not being such a release as is provided for by section 26(2), whereby a co-owner, co-sharer or co-parcener renounces his interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or co-parcener.			
	(a) If the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister		1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or

http://finance.rajasthan.gov.in

	(children of renouncer's parents) or son or daughter or son of predeceased son or daughter of a predeceased son or father or mother or spouse of the renouncer.		claim renounced.
(b)	XX	XX	XX
49. to 58.	XX	XX	XX

XX **XX** **XX** **XX**

http://finance.rajasthan.gov.in